पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

हेमेंद्र अरन और एक अन्य

बनाम

बिहार राज्य और एक अन्य

2023 की आपराधिक विविध वाद संख्या 55694

23 जून 2025

(चंद्र शेखर झा, न्यायमूर्ति)

विचार के लिए मुद्दा

क्या याचिकाकर्ताओं के खिलाफ धारा 406, 420, 120बी और 34 आईपीसी के तहत पंजीकृत एफआईआर, जिसमें व्यापारिक लेनदेन में अनुबंध का उल्लंघन और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था, को पहले शिकायत मामले को खारिज करने, सह-आरोपी द्वारा पूर्ण मौद्रिक समझौता करने और विवाद की नागरिक प्रकृति के मद्देनजर धारा 482 दं.प्र.सं के तहत रद्द किया जा सकता है।

हेडनोट्स

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 482 - एफआईआर को रद्द करना - सिविल विवाद को आपराधिक रंग देना - मौद्रिक दावों का निपटान - जहां पक्षों के बीच पूरा लेन-देन वाणिज्यिक प्रकृति का था, अनुबंधों और कॉर्पोरेट दस्तावेज़ों द्वारा समर्थित था, और समझौता के माध्यम से सुचक को मौद्रिक निपटान का भुगतान किया गया था, आपराधिक कार्यवाही जारी रखना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग माना जाएगा।

निर्णय: विवाद अनिवार्य रूप से सिविल है; एफआईआर रद्द की जाती है। [पैरा 16-20]

भारतीय दंड संहिता - धारा 406, 420, 120बी, 34 - अनुबंध का उल्लंघन - कोई मेन्स रीआ नहीं - धोखाधड़ी के तत्व संतुष्ट नहीं - निवेश रिटर्न के लिए पार्टियों के बीच

09.01.2017 को हुए समझौते में शुरू में धोखाधड़ी का इरादा नहीं दिखा - निष्पादन की तिथि पर याचिकाकर्ता कथित स्थान पर मौजूद नहीं थे - कोई बेईमानी से प्रलोभन या धोखा नहीं।

निर्णय: एफआईआर संज्ञेय अपराध का खुलासा करने में विफल रही; आपराधिक दायित्व आकर्षित नहीं हुआ। [पैरा 8-10, 17]

पिछली शिकायत कार्यवाही - शिकायत को खारिज करना और संशोधन करना - एफआईआर में कोई नया आधार नहीं - संगति का सिद्धांत - धारा 203 सीआरपीसी के तहत पहले की शिकायत का मामला खारिज कर दिया गया; विफलता के बाद बाद में आपराधिक संशोधन भी वापस ले लिया गया - उन्हीं तथ्यों पर नई एफआईआर दर्ज करना फोरम शॉपिंग और उसी कारण से दूसरी बार मुकदमा चलाने के समान है।

निर्णय: उसी कारण से नई एफआईआर कायम रखने योग्य नहीं है। [पैरा 5-6, 16-17]

सिविल उपाय - आपराधिक अधिकार क्षेत्र का आह्वान - महत्वपूर्ण तथ्यों को दबाना - प्रक्रिया का दुरुपयोग सुचक ने उसी लेनदेन पर एनसीएलटी और एनसीएलएटी की लंबित कार्यवाही का खुलासा करने में विफल रहा - सह-आरोपी से ₹4.23 करोड़ का पूरा भुगतान प्राप्त किया - इन तथ्यों को दबाना दुर्भावनापूर्ण इरादे को दर्शाता है।

माना गया: व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता के कारण याचिकाकर्ताओं को निशाना बनाया गया; अभियोजन पक्ष की दुर्भावना। [पैरा 7, 10, 16, 19]

कानूनी सिद्धांत - भजन लाल दिशा-निर्देश - वर्तमान मामले पर लागू - मामला हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल , 1992 सप (1) एससीसी 335 की श्रेणियों (1), (3), (5) और (7) द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है - एफआईआर में प्रथम दृष्टया अपराध का खुलासा नहीं हुआ है; आरोप असंभव हैं; अभियोजन दुर्भावनापूर्ण है।

निर्णय: भजन लाल सिद्धांतों को लागू करते हुए एफआईआर को रद्द कर दिया गया। [पैरा 18-19]

न्याय दृष्टान्त

हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, **1992 सप (1) एससीसी 335 – पर भरोसा किया गया;** नीहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य, **(2021) 19 एससीसी 401 – इसके बाद;** भजन लाल श्रेणियाँ, पैरा 102 – **लागू;** अरंका प्राइवेट लिमिटेड मामला **(सीआर. विविध संख्या 1700/2024) – पहले के रद्द करने के आदेश का उल्लेख किया गया**।

अधिनियमों की सूची

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 203, 210, 482; **भारतीय दंड संहिता, 1860** – धारा 406, 420, 120बी, 34; **कंपनी अधिनियम, 2013** – (कंपनी दस्तावेजों के माध्यम से निहित); **दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016** – एनसीएलटी/एनसीएलएटी कार्यवाही (प्रासंगिक)

मुख्य शब्दों की सूची

एफआईआर रद्द करना; भजन लाल मामला; व्यापारिक लेन-देन; सिविल विवाद; सिविल गलती को आपराधिक रंग देना; समझौता/समझौता; निवेश समझौता; एनसीएलटी/एनसीएलएटी कार्यवाही; प्रक्रिया का दुरुपयोग; धारा 482 सीआरपीसी; धोखाधड़ी और अनुबंध का उल्लंघन

प्रकरण से उत्पन्न

मुजफ्फरपुर सदर पीएस केस संख्या 44/2023 के रूप में एफआईआर दर्ज की गई , जिसमें एक फुटबॉल मैच परियोजना के लिए ₹1 करोड़ के निवेश से संबंधित 09.01.2017 के अनुबंध संबंधी समझौते का उल्लंघन करने और बाद में रिटर्न का भुगतान न करने का

आरोप लगाया गया, जिसके कारण आईपीसी की धारा 406, 420, 120बी और 34 के तहत आरोप लगाए गए।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ताओं के लिएः श्री अंशुमान सिंह, अधिवक्ता; श्री साहिल कुमार, अधिवक्ता

प्रतिवादी संख्या 2 के लिए: श्री विजय कुमार, अधिवक्ता

राज्य के अधिवक्ताः श्री राज बल्लभ सिंह, एपीपी

हेडनोट बनाया गया:- आकांक्षा मालवीय, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2023 की आपराधिक विविध वाद संख्या 55694

थाना कांड संख्या- 44 वर्ष- 2023 थाना- मुज़फ़्फ़रपुर सदर जिला- मुज़फ़्फ़रपुर से उद्भूत

==========

1. हेमेंद्र अरान, पिता- स्वर्गीय इंदु शेखर अरान, निदेशक, मेहर मिरेकल्स प्राइवेट लिमिटेड, बी-203, लेक ल्यूसर्न, लेक होम आदि शंकराचार्य मार्ग पवई, मुंबई-400076 और निवासी- ए-302 रस्तोमजी पैरामाउंट 18 वीं रोड विठ्ठलदास नगर, खार वेस्ट मुंबई, महाराष्ट्र-400052 जनवरी-2023 तक, वर्तमान निवास - फ्लैट नंबर-24 ए विंग, दूसरी मंजिल सनसेट हाइट्स, पाली हिल, बांद्रा वेस्ट, मुंबई उपनगरीय, महाराष्ट्र-400050
2. गीतांजलि सिन्हा, पति- हेमेंद्र अरान, निदेशक, मेहर मिरेकल्स प्राइवेट लिमिटेड। बी-203, लेक ल्यूसर्न, लेक होम आदि शंकराचार्य मार्ग पवई, मुंबई-400076 और निवासी- ए-302 रस्तोमजी पैरामाउंट 18 वीं रोड विठ्ठलदास नगर, खार वेस्ट मुंबई,

महाराष्ट्र-400052 जनवरी-2023 तक, वर्तमान निवास- फ्लैट नंबर-24 ए विंग, दूसरी मंजिल सनसेट हाइट्स, पाली हिल, बांद्रा वेस्ट, मुंबई उपनगरीय, महाराष्ट्र- 400050

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

1. बिहार राज्य
2. विक्रम कुमार पिता- ब्रजमोहन तिवारी, निवासी- मोहल्ला- आनंदपुरी बीबीगंज, थाना- सदर, जिला- मुजफ्फरपुर

.....विपरीत पक्ष

==========

उपस्थिति :

याचिकाकर्ताओं के लिएः श्री अंशुमान सिंह, अधिवक्ता

श्री साहिल कुमार, अधिवक्ता

प्रतिवादी संख्या 2 के लिए: श्री विजय कुमार, अधिवक्ता

राज्य के अधिवक्ताः श्री राज बल्लभ सिंह, एपीपी

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र शेखर झा

मौखिक निर्णय

दिनांक: 23-06-2025

याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अंशुमान सिंह, प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री विजय कुमार, एवं राज्य के लिए अ.लो.अ. श्री राज बल्लभ सिंह, को सुना।

2. यह आवेदन दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में, 'दं.प्र.सं.') की धारा 482 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (संक्षेप में, 'एफ.आई.आर.') मुजफ्फरपुर सदर थाना कांड संख्या

44/2023 जो भारतीय दंड संहिता की धारा 406,420,120बी और 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज है, को रद्द करने के लिए दायर की गयी है, जो विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मुजफ्फरपुर की अदालत में लंबित है।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य, जैसा कि प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है, यह है कि सूचक (प्रतिवादी संख्या 2) व्यवसाय के दौरान अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ याचिकाकर्ताओं के संपर्क में आया, जहां आरोपी व्यक्तियों ने सूचना देने वाले को बताया कि दुबई में एक फुटबॉल मैच होने जा रहा है, जिसमें वह अच्छे रिटर्न के लिए पैसे का निवेश कर सकता है। याचिकाकर्ता मेसर्स मेहर मिरेकल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम और शैली में एक कंपनी चला रहे हैं, जहां अन्य आरोपी व्यक्ति मेसर्स अरंका मुंबई प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े हैं। यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ताओं सहित सभी अभियुक्त व्यक्तियों ने सूचना देने वाले से 1 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए कहा, और कहा कि छह महीने के भीतर 1 करोड़ 50 लाख रुपये वापस कर दिए जाएंगे। दिनांक 09.01.2017 को, एक समझौता के साथ पक्षों के बीच एक गारंटी समझौता भी किया गया था, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि यदि छह महीने के भीतर धन का भुगतान नहीं किया जा सका, तो सूचक प्रति माह 4 प्रतिशत ब्याज प्राप्त करने का हकदार होगा। इसके बाद, याचिकाकर्ता नं. 1 ने मैसर्स मेहर मिरेकल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक के रूप में समझौते पर हस्ताक्षर किए। सूचक ने आगे आरोप लगाया कि समझौते के अनुसार उसने 1 करोड़ रुपये का निवेश किया था। और याचिकाकर्ताओं ने रुपये 6,90,000-प्रति माह का भुगतान करना शुरू कर दिया। और 11.10.2017 तक दिया, और उसके बाद, उन्होंने सूचक को भुगतान करना बंद कर दिया और जब सूचक ने याचिकाकर्ताओं और अन्य आरोपी व्यक्तियों से भुगतान के लिए अनुरोध किया, तो उन्होंने उससे वादा किया कि भुगतान बाद में किया जाएगा। सूचक ने आरोप लगाया कि 1 करोड़ रुपये की राशि अब ब्याज के साथ 4 करोड़ रुपये हो गए हैं और गारंटर गारंटी को

पूरा करने से इनकार कर रहा है। सूचक ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ताओं सहित आरोपी व्यक्तियों ने उसे धोखा दिया है।

4. उपरोक्त लिखित बयान के आधार पर याचिकाकर्ताओं और अन्य नामित अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ उपरोक्त प्राथमिकी दर्ज की गई।

5. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अंशुमान सिंह ने तर्क प्रस्तुत किया कि सूचक (प्रतिवादी संख्या 2) ने इस तथ्य को छिपा दिया है कि उसने मुजफ्फरपुर के विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद संख्या 202/2019 दायर किया था, जहां शपथ पर शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने और जांच गवाहों के साक्ष्य पर विचार करने के बाद, परिवाद पत्र को इस कारण से खारिज कर दिया गया था कि लगाए गए आरोप किसी भी आपराधिक अपराध को नहीं बनाता है और यह विशुद्ध रूप से संविदात्मक दायित्व से उत्पन्न होने वाला एक सिविल विवाद है, जिसके बाद, सूचक ने आपराधिक पुनरीक्षण सं. 139/2020, दायर किया जिसे भी दिनांक 18.08.2023 के आदेश के माध्यम से विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश- तृतीय, मुज़फ़्फ़रपुर द्वारा खारिज कर दिया गया।

6. विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुज़फ़्फ़रपुर द्वारा परिवाद मामला सं. 202/2019 में दिनांक 10.07.2020 का आदेश और विद्वान तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुज़फ़्फ़रपुर द्वारा आपराधिक पुनरीक्षण सं. 139/2020 में दिनांक 18.08.2023 पारित को आदेश को यहाँ संदर्भ के लिए यहाँ पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैः-

"**मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, के न्यायालय में**

मुज़फ़्फ़रपुर

सीआई 2021/19

"**10.07.20** इस मामले में परिवादी बिक्रम कुमार की ओर से उपस्थिति दर्ज की गई है जिसे जांच के बाद आदेश के लिए पेश किया गया है। परिवादी का शपथ पर परीक्षण किया गया और जांच के गवाह आशुतोष मिश्रा और ब्रजमोहन तिवारी का भी परीक्षण किया गया और परिवादी ने गारंटी डीड सहित कई दस्तावेजों की फोटो प्रतियां भी दाखिल की हैं। 09.01.2017, समझौता ज्ञापन, गीतांजलि प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के निगमन का प्रमाण पत्र, और गीतांजलि प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड से मेहर मिरेकल्स प्राइवेट लिमिटेड में नाम परिवर्तन के अनुसार निगमन का प्रमाण पत्र, परिवादी बिक्रम कुमार के एक्सिस बैंक के बैंक खाते का विवरण, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अरंका (मुंबई) प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी मास्टर डेटा, अरंका प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जवाब।

परिवाद पत्र वाद आरोपी हेमेंद्र आर्यन, गीतांजलि सिन्हा, मधुसूदन राजगोपालन, रितेश रावल, केनन शिव सुब्रमण्यम, आमिर सैय्यद के खिलाफ दर्ज किया गया है और परिवाद पत्र के अनुसार संक्षिप्त में मामला यह है कि परिवादी बिक्रम कुमार मेसर्स सोर्या कंटेनर लीजिंग कंपनी, मुजफ्फरपुर के मालिक है। और अरेंज्ड आरोपी हेमेंद्र आर्यन और गीतांजलि सिन्हा मेहर मिरेकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मुंबई के निदेशक हैं और उनके बीच पहले से ही दोस्ताना संबंध थे। दिनांक 1/1/2017 को छह आरोपी व्यापार के प्रस्ताव के साथ उसके घर आए और उन्हें बताया गया कि दुबई में एक फुटबॉल मैच का आयोजन किया जा रहा है और भारी लाभ की उम्मीद है और प्रस्ताव के अनुसार परिवादी को 10000000/- (एक करोड़) रुपये की राशि का निवेश करना था उक्त कंपनी में और कंपनी को 15000000/- (डेढ़ करोड़) रुपये का भुगतान करना था। परिवादी ने उक्त प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की

और स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ता को उक्त फुटबॉल मैच से कोई सरोकार नहीं होगा और न ही वह उक्त मैच के लाभ या हानि से प्रभावित होगा। दिनांक 11/1/17 को परिवादी और उक्त कंपनी मेहर मिरेकल्स प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई के बीच मारिपुर, मुज़फ़्फ़रपुर में उनके आवास पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और परिवाद ने उक्त कंपनी के खाते में 1 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए। समझौते के अनुसार, अगर रुपये की सहमत राशि परिवादी को 6 महीने के भीतर 1.50 करोड़ रुपये वापस नहीं किए गए, कंपनी 6 लाख 90,000 रुपये का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी, जिसमें कर भी शामिल होंगे, जब तकडेढ़ करोड़ रुपये वापस कर दिए जाए। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बाद कंपनी से 10/7/17, 10/8/17, 8/9/17, 11/10/17 पर उन्हें प्रत्येक तिथि पर 6 लाख 90,000 रुपये प्राप्त हुए, जो 27 लाख रुपये और 60,000 रुपये की कुल राशि थी। परिवादी लगातार उसके पैसे की मांग कर रहा है और 2 जून 2019 को कंपनी ने 1 लाख रुपये का भुगतान किया, जिस पर परिवादी ने आपत्ति जताई और उसके पैसे वापस करने का अनुरोध किया और फिर परिवाद पत्र में नामित आरोपी उसके आवास पर आए और उसे धमकी दी कि उन्हें लिखने और उनकी छवि खराब करने के लिए उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। जब परिवादी ने उसके पैसे वापस करने की मांग की, तो आरोपी ने उसे गाली देना शुरू कर दिया और उससे कहा कि उसके पैसे वापस नहीं किए जाएंगे। यह आरोप लगाया गया था कि अभियुक्त ने उसे धोखा देने की साजिश रची थी, और उसके 1 करोड़ रुपये के बदले में जिसमें से उन्होंने केवल 28 लाख 60,000 रुपये का भुगतान किया था और इसलिए इस मामले में विचारण का सामना करने के लिए अभियुक्त को बुलाने की प्रार्थना की गई है। परिवाद पत्र भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी,

323,406,409,420,504,34 के तहत दंडनीय कथित अपराध के लिए दायर की गई है। परिवाद की याचिका से सामने आए और जांच के दौरान गवाहों द्वारा समर्थित मामले के तथ्यों से पता चलता है कि परिवादी ने दिनांक 11/1/2017 के समझौते के अनुसार कंपनी के खाते में 1 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए थे और कंपनी को 6 महीने में डेढ़ करोड़ रुपये वापस करने थे, जिसमें विफल रहने पर कंपनी द्वारा पूरी सहमत राशि की वापसी तक शिकायतकर्ता को 6 लाख 90,000 रुपये का भुगतान किया जाना था। इस तथ्य से क्या प्रतीत होता है कि कंपनी पैसे वापस करने में विफल रही और समझौते के अनुसार, 4 महीने के लिए 6 लाख 90,000 रुपये का भुगतान किया गया और उसके बाद 1 लाख रुपये का भी भुगतान किया गया, लेकिन सहमत धन वापस नहीं किया गया और कंपनी और आरोपी के आचरण से व्यथित होकर, परिवादी ने इस अदालत के समक्ष यह शिकायत दायर की। कई दस्तावेज दायर किए गए हैं, लेकिन इस मामले की परिवाद में बताए गए तथ्यों के लिए उन सभी दस्तावेजों की प्रासंगिकता के लिए शिकायत में कोई बयान नहीं है, सिवाय कुछ दस्तावेजों के जो यह दिखाने के लिए दायर किए गए हैं कि आरोपी हेमेंद्र आर्यन और गीतांजलि सिन्हा की कंपनी कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत एक निजी लिमिटेड कंपनी थी और मेहर मिरेकल्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स सौर्या कंटेनर लीजिंग कंपनी के बीच समझौता ज्ञापन दिनांक 9/1/2070 से पता चलता है कि कंपनियों का प्रतिनिधित्व एक आरोपी द्वारा किया गया था और परिवादी ने मुंबई में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और बैंक स्टेटमेंट दिनांक 11/1/2017 को 1 करोड़ रुपये के चेक के माध्यम से शिकायतकर्ता के खाते सेहस्तांतरण को दर्शाता है। इन तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि लेन-देन का कोई भी हिस्सा

इस अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं हुआ है और आगे यह कि बिंदु संख्या 14 पर उक्त समझौता ज्ञापन में एक खंड में यह शामिल है की अधिकारों के प्रवर्तन के लिए और इसके लिए मुंबई/पटना में सक्षम अदालतों को अनन्य अधिकार क्षेत्र होने के लिए सहमत किया गया था और तथ्यों और परिस्थितियों में पूरा विवाद दीवानी प्रकृति का प्रतीत होता है और तथ्यों से पता चलता है कि शुद्ध और सरल संविदात्मक लेनदेन का विवाद है और आई. पी. सी. की धारा 406,409,420,120 बी के तहत कोई अपराध नहीं है। इसके अलावा शिकायतकर्ता ने उचित मंच पर अपने बकाया की वसूली के लिए उचित आवेदन दायर करने के बजाय, इस शिकायत मामले को मुजफ्फरपुर में दर्ज करने का विकल्प चुना है। दोनों गवाहों ने आई. पी. सी. की धारा 323,504,34 के तहत शेष कथित अपराध के लिए तथ्य का समर्थन नहीं किया है और यह परिवाद पत्र में केवल बयान प्रतीत होता है। इसलिए तथ्य परिस्थितियों और यहां मेरे समक्ष की गई चर्चा में परिवाद पत्र में नामित अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार नहीं मिलता है और इस प्रकार यह परिवाद पत्र दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 203 के तहत खारिज कर दी जाती है। इस मामले के अभिलेख को नियमों के अनुसार अभिलेख कक्ष में भेजा जाए।

सीजेएम

मुजफ्फरपुर"

"अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, तृतीय मुज़फ़्फ़रपुर के न्यायालय में

<u>आपराधिक पुनरीक्षण सं. 139/2020</u>

1. विक्रम कुमार .....पुनरीक्षण (याचिकाकर्ता)

बनाम

1. हेमेंद्र आर्यन और अन्य .....प्रतिवादीगण

दिनांक 18 अगस्त, 2023

आदेश

1. मामला सुनवाई के लिए निर्धारित किया गया है। 17.08.2023 पर याचिकाकर्ता की ओर से एक याचिका के साथ एक नया वकालतनामा दायर किया गया था जिसमें उल्लेख किया गया था कि वर्तमान मामला प्रश्नगत आदेश के खिलाफ दायर किया गया था। जिसमे दिनांक 10.07.2020 के आदेश जिसके द्वारा विद्वान सी. जे. एम. ने विरोधी पक्ष द्वितीय समूह के खिलाफ प्रतिवाद पत्र को खारिज कर दिया जो आई. पी. सी. की धारा 323,406,409,420 और आई. पी. सी. की धारा 120 (बी) के तहत अपराधों के लिए दायर की गई थी। यह कहा गया है कि बाद के नए तथ्य के आधार पर, उन अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ 14.01.2023 और उसीलेन-देन के लिए सदर थाना- कांड संख्या 44/2023 दर्ज किया गया था। इसलिए याचिकाकर्ता वर्तमान पुनरीक्षण याचिका को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था और उसे इसे वापस लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।

2. यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि अब इसी तरह के तथ्यों पर एक प्राथमिकी मौजूद है, इसलिए सी आर पीसी की धारा 210 के तहत एक परिवाद पत्र के आधार पर शुरू की गई कार्यवाही पर रोक लगाई जानी चाहिए।

3. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता से एक सवाल पूछा गया था कि क्या एक बार दायर की गई पुनरीक्षण याचिका का निपटारा वापसी याचिका के आधार पर किया जा सकता है। इस ओर वह इस अदालत का ध्यान आदेश

की ओर आकर्षित करता है। जिसमे दिनांक 12.04.2023 के आपराधिक पुनरीक्षण 859/2017 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित। का संशोधन संख्या जहां मामले में समझौता करने वाले पक्षों पर इसे वापस लेने की अनुमति दी गई थी। वह एक अन्य मामले आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 477/2018 का भी उल्लेख करता है। जहाँ आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को वापस लेने की अनुमति लेने वाले अधिवक्ता के अनुरोध की अनुमति दी गई थी। अंत में, वह आदेश डी. टी. को संदर्भित करता है। 25.02.2023 क्र. में पारित किया। 2017 का आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 436/2017 जहाँ परिवादी को कुछ दलीलों के बाद आपराधिक पुनरीक्षण याचिका वापस लेने की अनुमति दी गई थी।

4. रिकॉर्ड को सुना और पढ़ा। याचिकाकर्ता को वर्तमान पुनरीक्षण याचिका को वापस लेने की अनुमति है। उसे विवादित आदेश को चुनौती देने वाली नई पुनरीक्षण याचिका दायर करने से रोका जाएगा।

5. नतीजतन, इस आपराधिक पुनरीक्षणआवेदन को **खारिज** कर दिया जाता है।

6. एल. सी. आर. को इस आदेश की एक प्रति के साथ भेजा जाए।

[निर्देशित)

एस. डी./-

तृतीयअपर सत्र न्यायाधीश

मुजफ्फरपुर

7. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सूचक समझौते में दी गई गारंटी का आह्वान करते हुए एन. सी. एल. टी., मुंबई के समक्ष गया , जहां मामला राष्ट्रीय कंपनी कानून अपील

न्यायाधिकरण (संक्षेप में एनसीएलएटी तक गया है। नई दिल्ली कंपनी अपील के रूप में (ए. टी.) (दिवाला) नं. 836/2023, लेकिन साथ ही सूचक ने उपरोक्त सभी तथ्यों को छिपाकर यह झूठा आपराधिक मामला दर्ज किया है।

8. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि सूचक ने गलत बयान दिया है कि याचिकाकर्ता 01.01.2017 से 08.01.2017 के बीच मुज़फ़्फ़रपुर में थे, लेकिन तथ्य यह है कि उपरोक्त दोनों याचिकाकर्ता उपरोक्त अवधि के दौरान विदेश में थे, जो उनके पासपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि परियोजना की विफलता के कारण याचिकाकर्ताओं को भारी नुकसान हुआ है और उन्हें कई मुकदमों में भी घसीटा गया है, इसलिए वे समय पर पैसे वापस नहीं कर सके, जिसके लिए सूचना देने वाले ने कानूनी कार्रवाई भी की है, लेकिन वर्तमान आपराधिक मामला लिखित जानकारी को देखते हुए बिल्कुल विचारण योग्य नहीं है जैसा कि प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है।

9. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने आगे बताया कि अन्य पांच अभियुक्त व्यक्तियों रितेश रावल, कन्नन शिवसुब्रमण्यम, क्रिस्टोफर डेविड किंग्समैन, मधुसूदन राजगोपालन और आमरी सईद वर्सी के खिलाफ वर्तमान प्राथमिकी को इस न्यायालय की एक विद्वान समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक विविध वाद सं. 1700/2024 में दिनांक 14.05.2024 के आदेश से पहले ही दरकिनार कर दिया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता मेसर्स अरंका (मुंबई) प्राइवेट लिमिटेड के प्रमुख शेयरधारक हैं, जहां उपरोक्त आरोपी व्यक्ति भी शेयरधारक थे। उपरोक्त अभियुक्त व्यक्तियों ने प्रतिवादी सं. 2 के साथ समझौता किया और विपक्षी संख्या-2 को रु 4,23,59,355/- (चार करोड़ तेइस लाख पचास नौ हजार तीन सौ पचास रुपये मात्र) का भुगतान किया जो मेसर्स अरंका प्राइवेट लिमिटेड की ओर से किया गया, क्योकि उक्त कंपनी निवेश की गारंटर थी, जैसा कि प्रतिवादी सं 2. का आरोप था।

10. यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता के कारण और कंपनी में याचिकाकर्ताओं की स्थिति को संदिग्ध बनाने के लिए, आपराधिक विविध वाद संख्या 1700/2024, के याचिकाकर्ताओं के कहने पर। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, वर्तमान प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि भुगतान को देखते हुए, अब मामले में कुछ भी नहीं बचा है, और इसलिए वर्तमान प्राथमिकी को अपास्त/दरकिनार किया जाना उचित है।

11. इस संदर्भ में, विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्ट पर भरोसा किया जो **भजन लाल और अन्य, के मधायम से उपलब्ध है जिसे 1999 सप (1) एस. सी. सी. 335 में रिपोर्ट किया गया।**

12. सूचक (प्रतिवादी संख्या. 2) की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता आपराधिक कृत्यों के मास्टरमाइंड हैं और साजिश के तहत और अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ मिलकर सूचक को धोखा दिया है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि परिवाद पत्र मामला संख्या 202/2019 सूचक द्वारा विश्वासघात, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, रुपये के निवेश से संबंधित आपराधिक धमकी का आरोप लगाते हुए दायर किया गया था। जिसमे परिवादी से 1 करोड़ रुपये, जिसे याचिकाकर्ताओं की गारंटी कंपनी, मेसर्स अरंका प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई की कॉर्पोरेट गारंटी के आधार पर याचिकाकर्ताओं की ऋणी कंपनी, मेसर्स मेहर मिरेकल्स प्राइवेट लिमिटेड के खाते में बेईमानी और गलत तरीके से लिया गया था।

13. यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता ऋणी कंपनी मेसर्स मेहर मिरेकल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक और प्रवर्तक हैं और याचिकाकर्ता संख्या 1 गारंटर कंपनी मेसर्स अरंका (मुंबई) प्राइवेट लिमिटेड का सबसे बड़ा शेयरधारक और सीईओ था। याचिकाकर्ता सं।

1 दिनांक 09.01.2017 के ऋण समझौते के साथ-साथ गारंटी समझौते दिनांक 09.01.2017 के हस्ताक्षरकर्ता थे।

14. विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि चूंकि याचिकाकर्ताओं की कंपनी ने कहा है कि गारंटी समझौता एक कपटपूर्ण दस्तावेज है। जो हेमेंद्र अरन बनाम अरंका मुंबई प्राइवेट लिमिटेड, के मामले में , माननीय मुंबई बेंच एल. सी. एल. टी. ने दिनांक 09.03.2023 को एक आदेश पारित किया। जिसमे 3,94,99,355/- की राशि जिसमें ब्याज और अन्य शुल्क शामिल हैं एल. सी. एल. टी. की रजिस्ट्री के खाते मेंजमा करने का आदेश दिया गया , जो गारंटर के खिलाफ सूचक की दावा राशि थी। यह बताया गया है कि गारंटर के साथ-साथ ऋणी दोनों मैसर्स शौर्यस्टा कंटेनर लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड के मालिक प्रतिवादी संख्या 2/सूचक से गलत तरीके से और गैरकानूनी रूप से लिए गए धन के लाभार्थी हैं क्योंकि राशि याचिकाकर्ताओं की ऋणी कंपनी के खाते में ली गई थी और इसके अलावा, दुबई सेलिब्रिटी मैच को अरंका (गारंटर) के ब्रांड नाम के तहत प्रचारित किया गया था।

15. विद्वान अधिवक्ता ने **निहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य ए.आई.आर. 2021 (एस.सी.) 1918 = (2021) 19 एस. सी. सी. 401** के माध्यम से उपलब्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्ट पर भरोसा किया

16. याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता और सूचक/प्रतिवादी संख्या 2 के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, और अभिलेख के सावधानीपूर्वक अवलोकन पर, यह प्रतीत होता है कि दिनांक 06.10.2023 के आदेश के माध्यम से, इस न्यायालय ने वर्तमान मामले से उत्पन्न होने वाली पूरी कार्यवाही पर रोक लगा दी थी, जहां यह दर्ज किया गया था कि शुरू में एक परिवाद पत्र संख्या 2021/2019 प्रतिवादी संख्या 2. द्वारा दायर किया गया था, जिसे दिनांक 10.07.2020 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था। उक्त आदेश के खिलाफ, आपराधिक पुनरीक्षण संख्या 139/2020 को प्राथमिकता दी गई थी,

जिसे भी दिनांक 18.08.2023 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था। यहां यह बताना प्रासंगिक है कि याचिकाकर्ताओं ने दिनांक 09.01.2017 पर एक समझौता ज्ञापन अनुबंध किया था, जिसके तहत प्रतिवादी संख्या 2 ने एक करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान किया था। मेसर्स मेहर मिरेकल्स प्राइवेट लिमिटेड को सेलिब्रिटी फुटबॉल मैच की परियोजना में निवेश राशि के रूप में 1 करोड़ रुपये का भुगतान किया था, जिसमे से याचिकाकर्ता पहले ही रु 28,60,000-, जो दिनांक 10.07.2020 के आदेश में दर्ज किया गया है जिसे विद्वान सीजेएम, मुजफ्फरपुर द्वारा पारित किया गया है। इसके बाद, यह पूरी तरह से जानते हुए कि विवाद विशुद्ध रूप से सिविल प्रकृति का है, प्रतिवादी सख्या 2 को 3,94,99,355/- करोड़ रुपये की राशि अरंका मुंबई के अधिकारियों द्वारा, का भुगतान किया गया। जो कि याचिकाकर्ता संख्या-1 के शेयरों से जब्त (forfeit) की गई थी। परिणामस्वरूप, प्रतिवादी संख्या 2 को कुल रु. 4,23,59,355/- की राशि का भुगतान किया गया।

17. यह याचिकाकर्ताओं के वीजा और उड़ान टिकटों की प्रति के अवलोकन से प्रतीत होता है, और इस अदालत ने यह पाया कि याचिकाकर्ता दिनांक 29.12.2016 के बीच लंदन की यात्रा कर रहे थे और केवल दिनांक 07.01.2017 को भारत लौटे थे, इसलिए, प्रतिवादी संख्या 2 का प्रस्तुत यह तर्क करना सही नहीं है कि याचिकाकर्ता 01.01.2017 और 07.01.2017 के बीच मुजफ्फरपुर में मौजूद थे।

18. यहाँ, **भजन लाल मामला (उपरोक्त)**, के पैरा 102 को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा, जो निम्नानुसार हैः

> ‘102. अध्याय XIV के तहत संहिता के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या और अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति के प्रयोग या संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों से संबंधित निर्णयों की एक श्रृंखला में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून के सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में, हम

निम्नलिखित श्रेणियों के मामलों को उदाहरण के रूप में देते हैं, जिसमें ऐसी शक्ति का प्रयोग या तो किसी भी अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, हालाँकि यह संभव नहीं है कि ऐसे मामलों के लिए कोई सटीक, स्पष्ट, पूर्णतः परिभाषित, पूर्वनिर्धारित एवं कठोर दिशानिर्देश या कोई निश्चित फार्मूला निर्धारित किया जा सके अथवा उन असंख्य प्रकार के मामलों की एक विस्तृत सूची दी जा सके , जिसमें इस तरह की शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके मूल रूपपर लिया जाए और उनकी संपूर्णता में स्वीकार किया जाए, प्रथम दृष्टया कोई अपराध या अभियुक्त के खिलाफ किसी मामले का गठन नहीं करते हैं।

(2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप और प्राथमिकी के साथ अन्य सामग्री, यदि कोई हो, एक संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करती है, जो संहिता की धारा 155 (2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश के अलावा संहिता की धारा 156 (1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराती हो।

(3) जहां प्राथमिकी या परिवाद में लगाए गए अनियंत्रित आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी भी अपराध के होने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला बनाते हैं।

(4) जहां, प्राथमिकी में आरोप एक संज्ञेय अपराध का गठन नहीं करते हैं, लेकिन केवल एक अ-संज्ञेय अपराध का गठन करते हैं, वहां संहिता की धारा

155 (2) के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना एक पुलिस अधिकारी द्वारा किसी भी जांच की अनुमति नहीं दी जाती है।

(5) जहाँ प्राथमिकी या परिवाद में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं जिनके आधार पर कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई है) के किसी भी प्रावधान में संस्था और कार्यवाही को जारी रखने और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में कोई विशिष्ट प्रावधान है, वहां पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करने के लिए एक स्पष्ट कानूनी रोक है।

(7) जहां किसी आपराधिक कार्यवाही को स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण तरीके से देखा जाता है और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियुक्त से बदला लेने के लिए और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे रोकने के उद्देश्य से शुरू की जाती है। "

19. उपरोक्त कानूनी और तथ्यात्मक चर्चा के मद्देनजर, विपक्षी पक्ष संख्या 2 ने मेसर्स अरंका प्राइवेट लिमिटेड की ओर से अभियुक्तों से 4,23,59,355 रुपये प्राप्त किए, जहां याचिकाकर्ता संख्या 1 कंपनी का सीईओ और प्रमुख शेयरधारक था, अब इस मामले में कुछ भी नहीं बचा है। इसके अलावा, अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी को इस न्यायालय के विद्वान समन्वय पीठ में से एक द्वारा पहले ही खारिज कर दिया गया है, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, तदनुसार, भजन लाल केस (सुप्रा) के पैरा 102 के अवलोकन संख्या 3, 5 और 7 के माध्यम से उपलब्ध कानूनी अनुपात को लेते हुए, वर्तमान मामला

यानी मुजफ्फरपुर सदर पीएस केस संख्या 44/2023, जो विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरपुर के न्यायालय में लंबित है, को रद्द कर दिया जाता है और उपरोक्त नामित याचिकाकर्ताओं के खिलाफ इसकी सभी परिणामी कार्यवाही, यदि कोई हो, के साथ दरकिनार कर दिया जाता है।

20. तदनुसार, आवेदन स्वीकृत की जाती है।

21. इस फैसले की एक प्रति इसके अनुपालन के लिए संबंधित न्यायालय को भेजी जाए।

(माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र शेखर झा,)

राजीव/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।